

**मेन्युअल -5**

क्र.	वर्ग	दस्तावेज का नाम एवं संक्षिप्त परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी	धारक/ नियंत्रणाधीन
1.	नियम	म.प्र.विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 23 की उपधारा (1),(2) और (3), धारा 24 और धारा 56 की उपधारा (2) के साथ पठित विद्युत सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 131 (1),(2),(5),(6) तथा (7) और धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत म.प्र.विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003- दि. 30.9.03 को अधिसूचित तथा 1.10.03 से लागू ।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
2.	आदेश	म.प्र.राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती पाँचों कंपनियों को स्वायत्तता प्रदान किये जाने के संबंध में (दि. 31.5.05 को जारी)।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।	अनुभाग अधिकारी
3.	आदेश	प्रदेश में विद्युत चोरी के प्रकरणों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालयों का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 (एक) के अंतर्गत (दि. 16.6.04 को जारी)।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
4.	आदेश	विद्युत चोरी के प्रकरणों में आंकलन हेतु अधिकारियों को निरीक्षण, तलाशी एवं जब्ती के अधिकार ( विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 की उपधारा (2) के अंतर्गत आदेश दि. 17.5.04 को जारी)।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
5.	आदेश	विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में किए गए निर्धारण पर अपील की प्रक्रिया (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127 के अंतर्गत अधिसूचना दि. 30.7.04 को जारी)।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी

6.	आदेश	विद्युत चोरी के प्रकरण में कम्पाउंडिंग हेतु अधिकारी को अधिकृत किए जाने के संबंध में ( विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 152 की उपधारा के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश दि. 26.6.04 को जारी)।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
7.	आदेश	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए राज्य शासन की प्रोत्साहन नीति	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
8.	अधिनियम	म.प्र. ऊर्जा उपकर अधिनियम, 1981- विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए विद्युत प्रदाय, विक्रय एवं उपभोग पर राज्यशासन द्वारा उपकर लगाने बाबत।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
9.	नियम	विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 180 की उपधारा(2)के खण्ड (छः) के साथ पठित धारा 103 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत म.प्र. विद्युत नियामक आयोग निधि की स्थापना संबंधी, अधिसूचना ( आयोग के बजट, प्रशासकीय व्यय, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्तों से संबंधित)(दि. 6 मई, 2005 को अधिसूचित)।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
10.	नियम	म.प्र.विद्युत नियामक आयोग की स्थापना (इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी एक्ट,1998 की धारा 17 की उपधारा (1) और (3) के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश दि. 18.8.98 को जारी एवं 20.8.98 को अधिसूचित विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 82 के अंतर्गत मान्य)	--तदैव--	--तदैव--
11.	आदेश	राज्य विद्युत भार प्रेषण केन्द्र की स्थापना (विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत (आदेश दि. 17.5.04 को जारी )	--तदैव--	--तदैव--
12.	अधिसूचना	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत	--तदैव--	--तदैव--

		अधिसूचना दि. 17.5.04 द्वारा म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी को दि. 1.6.04 से स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी के रूप में अधिसूचित किया गया।		
13.	आदेश	अध्यक्ष, म.प्र.राज्य विद्युत नियामक आयोग की अध्यक्षता में राज्य समन्वय फोरम का गठन (विद्युत अधिनियम,2003 के प्रावधानों के अंतर्गत (आदेश दि. 17.5.04 को जारी)	--तदैव--	--तदैव--
14.	अधिसूचना	विद्युत चोरी , विद्युत लाइनों एवं सामग्री की चोरी के प्रकरणों में पुलिस अधिकारियों को न्यायालय में वाद दायर करने हेतु अधिकृत करने बाबत् ( विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 151 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचना दि. 21.2.05 को जारी)	--तदैव--	--तदैव--
15.	अधिसूचना	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को अनुज्ञप्तिधारक के रूप में विद्युत व्यापार (ट्रेडिंग) का कार्य दि. 9 दिसम्बर 2005 तक जारी रखने बाबत् ( विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 172 () के अंतर्गत अधिसूचना दि. 6 जून 2005 को जारी)	--तदैव--	--तदैव--
16.	नियम	म.प्र.विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 23 की उपधारा (1),(2) और (3),धारा 24 और धारा 56 की उपधारा (2) के साथ पठित विद्युत सुधार अधिनियम,2003 की धारा 131 की उपधारा (1),(2),(5),(6) एवं (7) तथा धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत म.प्र. विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003 (संशोधन) - दि. 13 जून, 2005 को अधिसूचित	--तदैव--	--तदैव--
17.	नियम	म.प्र. विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003 (संशोधन)- (प्रोविजनल अवधि की सीमा बढ़ाने बाबत्) - दि. 27 दिसम्बर, 04 को अधिसूचित	--तदैव--	--तदैव--
18.	अधिनियम	म.प्र. विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 - विद्युत प्रदाय, विक्रय एवं उपभोग पर राज्य शासन को कर लगाने का अधिकार	--तदैव--	--तदैव--
19.	अधिनियम	म.प्र. विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्र. 4 सन् 2001) - प्रदेश में विद्युत क्षेत्र सुधार, टैरिफ निर्धारण , विद्युत मंडल के पुनर्गठन से संबंधित- (दि. 20.2.2001 को अधिसूचित एवं 3.7.01 से लागू) ।	--तदैव--	--तदैव--

20.	आदेश	आगामी रबी सीजन (वर्ष 2005-06) में विद्युत की मांग एवं उपलब्धता के अंतर को देखते हुए लागू किये जाने वाले पुनरीक्षित विद्युत विनियमन के आदेश  (आदेश दि.24.9.05 को जारी)	-तदैव-	-तदैव-
21	आदेश	बिजली चोरी एवं अनाधिकृत उपभोग के प्रशमन हेतु ली जाने वाली राशि को लेने के लिये प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति	-तदैव-	-तदैव-
22	आदेश	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 52 की उपधारा (1) के परंतुक में दी हुई बिजली के अपराधो के प्रशमन हेतु दी हुई दरों का राज्य शासन द्वारा युक्तियुक्त करण करने के संबंध में अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2006	तदैव	तदैव
23	आदेश	बिजली चोरी एवं अनाधिकृत उपभोग के प्रशमन हेतु ली जाने वाली राशि को लेने के लिये फ्रैंचाइजी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति। संशोधन आदेश दिनांक 6 अक्टूबर, 2007 को जारी।	तदैव	तदैव
24	आदेश	पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के पुर्नगठन के फलस्वरूप म.प्र. विद्युत मंडल के कार्यरत अधिकारियों@कर्मचारियों को उत्तरती म.प्र. राज्य विद्युत मंडल तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में विभाजित करने के लिये जारी मार्गदर्शी सिद्धांत दिनांक 31 मार्च, 2006 को वापस लेने के संबंध में आदेश जारी।	तदैव	तदैव
25	नियम/आदेश	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 171 की उपधारा (1) के अधीन किसी परिसर के किसी उपभोक्ता को नोटिस आदेश तथा दस्तावेजो को शामिल करने की रीति के संबंध में अधिसूचना दिनांक 7.4.06 को जारी।	तदैव	तदैव
26	आदेश	अनुज्ञसिधारी कंपनियों के क्षेत्राधिकार में विद्युत के पारेषण/वितरण कार्यों के संपादन के लिये भारतीय टेलीग्राफ आफिसर की शक्तियों का प्रत्यायोजन संबंधी अधिसूचना दि. 11.10.07 को जारी।	तदैव	तदैव
27	आदेश	भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के अंतर्गत विद्युत संयंत्रों के निरीक्षण के शुल्क की दरों में परिवर्धन। आदेश दिनांक 3 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित।	तदैव	तदैव

28	आदेश	विद्युत अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत बनाये गये म.प्र. अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) में संशोधन के लिये मध्यप्रदेश विद्युत अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) विनियम, 1960 में संशोधन दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को किया गया।	तदैव	तदैव
29	आदेश	म.प्र. में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य शासन द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 तथा 14 नवंबर, 2007 को अधिसूचना जारी की गई।	तदैव	तदैव
30	आदेश	राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये होटलों में जनरेशन स्टेशन (केप्टिव पावर प्लांट) की स्थापना के लिये मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 की धारा 3 की उपधारा (ख) के अधीन विद्युत शुल्क में छूट प्रदान करने के लिये अधिसूचना जारी।	तदैव	तदैव

**ऊर्जा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएँ**

क्र.	अधिसूचना क्रमांक एवं जारी करने की तिथि	विषय	प्रकाशन की तिथि	पृष्ठों की संख्या
1	2	3	4	5
1	1086 - एफ.3-20-13-98 दिनांक 19 फरवरी, 2001	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम 2000	2 मार्च, 2001	4
2	919 - वी.जी.आ.-2001 दिनांक 9 अक्टूबर, 2001	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, प्रक्रिया एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2001	2 नवंबर, 2001	12
3	6259/एफआरएस/17/13/02दि30.09.2003	म.प्र. विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम,2003।	30 सितम्बर, 2003	44
4	2489-तेरह-2004 दिनांक 17.5.2004	राज्य विद्युत भार प्रेषण केन्द्र की स्थापना।	17 मई, 2004	1
5	2491-तेरह-2004 दिनांक 17.5.2004	राज्य समन्वय फोरम का गठन।	17 मई 2004	1
6	4300-तेरह-2004 दि. 30.07.04 म.प्र वि	विद्युत (अंतिम निर्धारण आदेश की तामील)नियम,2004	30.07.2004	3
7	4500-तेरह-2004 दिनांक 30.7. 2004	मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम,2003 के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी की नियुक्ति।	30 जुलाई, 2004	8
8	4502-तेरह-2004 दि. 30.7.04 म.प्र.वि	विद्युत अधिनियम,2003 के अन्तर्गत बिजली के अपराधों के प्रशमन हेतु धन की राशि को स्वीकार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति।	30 जुलाई, 2004	1
9	5691/13/2004 दि. 29.सितंबर.2004	मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत विद्युत ऊर्जा के उसादन में विद्युत शुल्क में छूट ।	29.9.2004	2
10	7592-तेरह-2004 दि. 27.दिसम्बर.2004	म.प्र.राज्य विद्युत मंडल के विद्युत व्यापार के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्य करने के संबंध में।	27.12.2004	1
11	1342/13/2005 दिनांक 21.02.2005	म.प्र.विद्युत अधिनियम,2003 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी कीनियुक्ति।	21.02.2005	1

12	2768-तेरह-2005 दिनांक 20.4.2005	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग निधि नियम,2005	6 मई,2005	6
13	3848/एफ.आर.एस./ 4-तेरह-2001 दिनांक 06जून,2005	म.प्र.राज्य विद्युत मंडल के वि द्युत व्यापार के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्य करने के संबंध में।	6 जून,2005	1
14	4003-एफ.आर.एस.- 17- तेरह-2002 दिनांक 13जून 2005	म.प्र.विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम,2003- संशोधन।	13 जून 2005	13
15	5921 दिनांक 30.8.2005	विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 166(5) के अन्तर्गत जिला समितियों का गठन।	30.8.2005	16
16	5459-295-इक्कीस- अ(प्रा.)दि 5.9.2005,	मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम,2005	5 सितम्बर, 2005	2
17	157-विधान-2005 दिनांक 2जनवरी,2006	मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005	2 जनवरी, 2006	1
18	767-49-इक्कीस .अ(प्रा.) दि1.2.06	मध्यप्रदेश उपकर ( द्वितीय संशोधन) अधिनियम,2005	1 फरवरी, 2006	2
19	2010-एफ13-5- तेरह - 2006 दिनांक 25.3.06	विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 14 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की घोषणा।	25 मार्च, 2006	1
20	मार्गदर्शी सिद्धांत	पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप,पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के कार्यरत अधिकारियों@कर्मचारियों को उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल तथा छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल में विभाजन हेतु ।	31 मार्च, 2006	11
21	2010-एफ.13- 5- तेरह - 2006दि.25.3. 2006	विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 14 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की घोषणा।	7 अप्रैल, 2006	1
22	3159-एफ.आर.एस.- 18-2002- तेरह दिनांक 19मई, 2006	म.प्र.विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम,2003में संशोधन	19 मई, 2006	1
23	3346/13/2006 दिनांक 27मई, 2006	मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत विद्युत ऊर्जा के उसादन में विद्युत शुल्क में छूट में संशोधन	27 मई, 2006	1
24	3346-तेरह-2006 दिनांक 27मई,2006	मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 की अधिसूचना क्र. 5691 -तेरह-2004 दिनांक 29सितम्बर, 2004 में संशोधन।	9 जून, 2006	1

25	4052-एफ-11-310-ते रह-2004 दि 30.6.2006	मध्यप्रदेश विद्युत(अनंतिम निर्धारण आदेश की तामील) नियम, 2004 में संशोधन।	30 जून, 2006	1
26	4054-4948-2005- तेरह दि 30जून,2006	विद्युत अधिनियम,2003 के अन्तर्गत बिजली के अपराधों के प्रशमन हेतु धन की राशि का युक्तियुक्तकरण।	30 जून, 2006	1
27	4075-एफ-16-26-05- बी -ग्यारह-तेरह- दिनांक30 जून, 2006	कास्टिक सोडा उद्योगों को विद्युत शुल्क में छूट।	30 जून, 2006	1
28	4328-तेरह-2006 दिनांक 12.7.2006	मेगा प्रोजेक्ट को विद्युत शुल्क में छूट।	21 जुलाई,2006	2
29	7403-एफ2-06-2006- तेरह दि 14.11.06	विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 85(1) के अधीन म.प्र.विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पैनल का चयन।	14 नवम्बर , 2006	1
30	17(ई)83/03/21-ब (एक) दि.6.12. 2006	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 153 (2) के अंतर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष न्यायालय का गठन (पुनरीक्षित अधिसूचना)-विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा।	6 दिसंबर, 2006	10
31	819/13/2007 दिनांक12.02.2007	राज्य में पर्यटन को प्रोस्ताहन देने के लिये होटलों में जनरेशन स्टेशन की स्थापना के लिये मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 की धारा 3-ख के अधीन विद्युत शुल्क में छूट।	12.02.2007	1
32	2076म.प्र.वि.नि.आ.- 2006 दि.22.8.2006	919-वी.नी.आ.-2001 दिनांक 9 अक्टूबर,2001 में अधिसूचित आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों के पदों अर्हताओं में संशोधन	22.08.2006	19
33	एफ-1-05/2007/तेरह दिनांक 6.10.2007	4502-तेरह-2004 दिनांक 30 जुलाई, 2004 में संशोधन	06.10.2007	1
34		मार्गदर्शी सिद्धांत को वापस लिया गया		1
35	एफ-2-01/2008/तेरह दिनांक 13.03.2008	विद्युतअधिनियम2003 की धारा85(1)के अधीन म.प्र.विद्युत नियामक आयोग सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल का चयन।	13.03.2008	1
36	एफ-1-04/2007/तेरह दिनांक 11.09.2007	ऊर्जा विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक 2495-तेरह-2004 दिनांक 17मई,2004 में संशोधन §	11.09.2007	1
37	2312/13/2006 दिनांक 7/4/2006	विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 171 (1) के अधीन किसी परिसर के किसी उपभोक्ता को नोटीस,आदेश अथवा दस्तावेज को तामील करने की रीति नियम	07.04.2006	1

38	एफ-1-3/2007/तेरह दिनांक 11.10.2007	अनुज्ञासिधारी कंपनी के क्षेत्राधिकार में विद्युत के पारेषण/वितरण के लिये टेलिग्राफ आफिसर की शक्तियों का प्रत्यायोजन	11.10.2007	1
39	एफ-5-06/2006/तेरह दिनांक 03अप्रैल,2007	भारतीय विद्युत अधिनियम,1910 के अधीन निरीक्षण शुल्क की दरों में संशोधन	03.04.2007	13
40	एफ-1-1/2006/तेरह दिनांक 20.04.2007	भारतीय विद्युत नियम,1956 क नियम 45 के अन्तर्गत म.प्र.अनुज्ञापन मंडल(विद्युत) विनियम,1960 में संशोधन	27.04.2007	2
41	2463-एफ.आर.एस.- 18 - 2002 -तेरह दिनांक 31मार्च,2008	म.प्र.विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम,2003 के खण्ड 1(क)में समयावधी में संशोधन	31.03.2008	1
42	2088.FRS-4-XIII- 2001 दिनांक 19मार्च,2008	State Government has notified Madhya Pradesh Electricity Reforms Transfer Scheme Rules,2006-for bulk purchase and supply of electricity, power vested to Madhya Pradesh Power Trading Company Limited(TRADECO)	19.03.2008	4
43	6591-एफ18-10 तेरह- 03दि. 17.10.06	मध्यप्रदेश में अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु नीति	17.10.2006	6
44	एफ-03-24-तेरह-2006 दिनांक 14नवम्बर, 2007	मध्य प्रदेश में लघुजल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं की स्थापना को प्रस्ताहित करने के लिये 25 मेगा वाट की क्षमजा तक समस्त लघु जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित या उपभुक्त विद्युत ऊर्जा परएवं प्रोस्ताहन नीति के अधीन स्थापित अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित या उपभुक्त विद्युत ऊर्जा केप्टिव इकाइ द्वारा क्षमता का 70 प्रतिशत उत्पादन करने पर ऊर्जा विकास उपकर से छूट देने के संबंध में अधिसूचना	14.11.2007	2
45	एफ-02-06-तेरह-2007 दिनांक 20अप्रैल, 2007	4500-तेरह-2004 दिनांक 30 जुलाई, 2004 में संशोधन		1
46	एफ-18-10-तेरह-93 दिनांक 12मई, 2008 अपारंपारिक	ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोस्ताहन देने हेतु अधिसूचित नीति में संशोधन	16.05.2008	1

## मैनुअल-6

### बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

#### म.प्र.राज्य विद्युत मंडल

संबंधित संस्था का नाम एवं पता	म.प्र.राज्य विद्युत मंडल, द्वाकिभवन रामपुर, जबलपुर
संबंधित संस्था का प्रकार(बोर्ड, परिषद समिति, निकाय या अन्य)	मंडल
संबंधित संस्था का संक्षिप्त परिचय(स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)	विद्युत प्रदाय अधिनियम, १९४८ के अंतर्गत वर्ष १९५७ में म.प्र.विद्युत मंडल की स्थापना। नवंबर, २००० में राज्य के विभाजन के पश्चात् १५ अप्रैल, २००१ से क्रियाशील हुआ।
संबंधित संस्था की भूमिका	वर्तमान में उत्तरावर्ती कंपनियों के मध्य नगद प्रवाह प्रबंधन, अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थापना संबंधी सामान्य एवं नीतिगत मुद्दे तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दे।
स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	म.प्र. राज्य विद्युत मंडल के सदस्य (दिनांक 31.12.2011 की स्थिति में) 1. श्री मोहम्मद सुलेमान (भा.प्र.से.) -अध्यक्ष 2. श्री उमेश राउतजी - प्रबंध निदेशक, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. जबलपुर, (पदेन सदस्य) 3. श्री विजेन्द्र नानावटी - प्रबंध निदेशक, म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि. जबलपुर, (पदेन सदस्य) 4. श्री नीतेश व्यास (भा.प्र.से.) - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. भोपाल (पदेन सदस्य) 5. श्री सुखवीर सिंह (भा.प्र.से.) - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर (पदेन सदस्य) 6. श्री अजय नाथ (भा.प्र.से.) - प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग (पदेन सदस्य) 7. श्री डी.पी. आहूजा (भा.प्र.से.) - अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. इंदौर(पदेन सदस्य) 8. श्री डी के गुप्ता सचिव म.प्र.रा.वि.म.
मुख्य अधिकारी का नाम	श्री मोहम्मद सुलेमान (भा.प्र.से.) -अध्यक्ष म.प्र.राज्य विद्युत मंडल

मुख्य कार्यालय का पता	शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर
बैठक की आवृत्ति	सामान्यतः प्रतिमाह
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	नहीं
क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है	जी हां।
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ?अगर हां तो प्रक्रिया का विवरण दें ।	वर्तमान में प्रावधान नहीं है।

**म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि.**

संबंधसंस्था का नाम व पता	म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि,शक्तिभवन,रामपुर जबलपुर
संबंध संस्था का प्रकार(बोर्ड, परिषद समिति, निकाय या अन्य)	लिमिटेड कंपनी
संबंध संस्था का संक्षिप्त परिचय(स्थापना वर्ष, उद्देश्य/ मुख्य कृत्य)	जुलाई,०२ से क्रियाशील/प्रदेश में विद्युत उत्पादन का कार्य । दिनांक १ जून,२००५ से पूर्ण स्वायत्त ।
संबंध संस्था की भूमिका	कार्यकारिणी
स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	शासकीय कंपनी- श्री मोहम्मद सुलेमान(भा.प्र.से.), अध्यक्ष श्री विजेन्द्र नानावटी - प्रबंध संचालक श्री एस.एन.मिश्रा (भा.प्र.से.) -सचिव म.प्र. शासन,वित्त विभाग(संचालक) श्री अशोक गुसा,कार्यपालक निदेशक,वित्त,पीएफसी(संचालक) श्री एस.एन. गागुली, कार्यपालक निदेशक,एनटीपीसी,पश्चिम क्षेत्र(संचालक) श्री कफिल एहमद उप सचिव म.प्र. शासन, उर्जा विभाग (संचालक)

	श्री पीयूष त्रिवेदी कुलपति, रा प्रो वि वि, भोपाल(संचालक)
मुख्य अधिकारी का नाम	श्री विजेन्द्र नानावटी, प्रबंध संचालक
मुख्य कार्यालय का पता	शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर
बैठक की आवृत्ति	तीन माह (वर्ष में चार)
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	नहीं
क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है	जी हां।
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ?अगर हां तो प्रक्रिया का विवरण दें ।	वर्तमान में प्रावधान नहीं है।

### म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.

संबंध संस्था का नाम एवं पता	म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि,शक्तिभवन,रामपुर जबलपुर
संबंध संस्था का प्रकार(बोर्ड, परिषद समिति, निकाय या अन्य)	लिमिटेड कंपनी
संबंध संस्था का संक्षिप्त परिचय(स्थापना वर्ष, उद्देश्य/ मुख्य कृत्य)	जुलाई,०२ से क्रियाशील/प्रदेश में विद्युत पारेषण का कार्य । दिनांक १ जून,२००५ से पूर्ण स्वायत्त।
संबंध संस्था की भूमिका	कार्यकारिणी
स्वरूप	शासकीय कंपनी
वर्तमान सदस्य	म.प्र. शासन द्वारा नामांकित पदेन सदस्य १. श्री मोहम्मद सुलेमान(भा.प्र.से.), अध्यक्ष

	<p>२. श्री उमेश राउतजी - प्रबंध निदेशक</p> <p>३.श्री अमित राठोर (भा.प्र.से.) संचालक, बजट म.प्र. शासन वित्त विभाग</p> <p>४.श्री आइ एस झा कार्यपालक निदेशक,पीजीसीआईएल,गुडगांव</p> <p>५.श्री रविचन्द्रन नरसिहन, संचालक आइआइएम इंदौर</p> <p>६.श्री एस.के.शर्मा उप सचिव म.प्र. शासन ऊर्जा विभाग, भोपाल</p>
मुख्य अधिकारी का नाम	श्री उमेश राउतजी - प्रबंध निदेशक
मुख्य कार्यालय का पता	शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर
बैठक की आवृत्ति	वर्ष में न्यूनतम चार बैठके
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	नहीं
क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है	जी हां।
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ?अगर हां तो प्रक्रिया का विवरण दें ।	वर्तमान में प्रावधान नहीं है।

### म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि.

संबद्ध संस्था का नाम एवं पता	म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. निष्ठा परिसर, गोविन्दपुरा, भोपाल
संबद्ध संस्था का प्रकार(बोर्ड, परिषद,समिति,निकाय याअन्य)	लिमिटेड कंपनी
संबद्धसंस्था कासंक्षिप्त परिचय (स्थापनावर्ष,उद्देश्य/मुख्यकृत्य)	जुलाई,२००२ से क्रियाशील ग्वालियर एवं भोपाल संभाग में विद्युत वितरण का कार्य । दिनांक १ जून,२००५ से पूर्ण स्वायत्त।
संबद्ध संस्था की भूमिका	कार्यकारिणी

स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	शासकीय कंपनी- श्री नितेश कुमार व्यास (भा.प्र.से.),अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, श्री मोहम्मद सुलेमान(भा.प्र.से.)- सचिव म.प्र. शासन ऊर्जा विभाग, भोपाल श्री अमोल चन्द्र चक्रवर्ती श्री विनोद कुमार सिन्ग, श्री पी.के.वैश्य श्री केवीआरवीएस चलम श्री प्रवीण गर्ग (भा.प्र.से.) श्री एस एस गुप्ता श्री मुकुल धारीवाल उप सचिव म प्र शासन ऊर्जा विभाग भोपाल
मुख्य अधिकारी का नाम	श्री नितेश व्यास (भा.प्र.से.),अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक,
मुख्य कार्यालय का पता	गोविन्दपुरा, भोपाल
बैठक की आवृत्ति	तीन माह (वर्ष में चार)
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	नहीं
क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है	जी हां।
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ?अगर हां तो प्रक्रिया का विवरण दें ।	वर्तमान में प्रावधान नहीं है।

**म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि.**

संबद्ध संस्था का नाम एवं पता	म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. शक्तिभवन, रामपुर , जबलपुर।
संबद्ध संस्था का प्रकार(बोर्ड, परिषद समिति, निकाय या अन्य)	लिमिटेड कंपनी
संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय(स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)	जुलाई,२००२ से क्रियाशील। जबलपुर, सागर एवं रीवा संभागों में विद्युत वितरण का कार्य। दिनांक १ जून,२००५ से पूर्ण स्वायत्त।
संबद्ध संस्था की भूमिका	कार्यकारिणी
स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	शासकीय कंपनी- श्री सुखवीर सिंह (भा.प्र.से.) - अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक श्री मोहम्मद सुलेमान(भा.प्र.से.) -सचिव म.प्र.शासन ऊर्जाविभाग,- संचालक श्री प्रभात कुमार पाराशर(भा.प्र.से.), आयुक्त जबलपुर संभाग,- संचालक, श्री अमित राठोर संचालक(भा.प्र.से.), अपर सचिव म.प्र. शासन वित्त विभाग -संचालक, श्री एच.ओ.गुप्ता, डीन, आईआईटी, रूड़की-संचालक,
मुख्य अधिकारी का नाम	श्री सुखवीर सिंह (भा.प्र.से.)- अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक
मुख्य कार्यालय का पता	शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर
बैठक की आवृत्ति	तीन माह (वर्ष में चार)
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	नहीं
क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है	जी हां।

क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ?अगर हां तो प्रक्रिया का विवरण दें ।	कंपनी अधिनियम १९५६ के प्रावधान के अनुसार
--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

**म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि.**

संबद्ध संस्था का नाम एवं पता	म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. जीपीएस कम्पाउंड, पोलो ग्राउंड, इंदौर।
संबद्ध संस्था का प्रकार(बोर्ड, परिषद समिति, निकाय या अन्य)	लिमिटेड कंपनी
संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)	जुलाई,२००२ से क्रियाशील। इंदौर एवं उज्जैन संभागों में विद्युत वितरण का कार्य । दिनांक १ जून,२००५ से पूर्ण स्वायत्त।
संबद्ध संस्था की भूमिका	कार्यकारिणी
स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	शासकीय कंपनी- श्री डी.पी.आहुजा (भा.प्र.से.)- अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, श्री मोहम्मद सुलेमान(भा.प्र.से.) -सचिव म.प्र. शासन ऊर्जा विभाग, श्री बी.पी.सिंह, (भा.प्र.से.) आयुक्त इंदौर संभाग श्री अमित राठोर (भा.प्र.से) संचालक,बजट म.प्र.शासन वित्त विभाग श्री एल.डी. आर्य,प्रोफेसर,जीएसआईटीएस,इंदौर डॉ.एन.रविचन्द्रन,डायरेक्टर,आई.आई.एम.इंदौर
मुख्य अधिकारी का नाम	श्री डी.पी.आहुजा(भा.प्र.से.) अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक,
मुख्य कार्यालय का पता	पोलो ग्राउंड, जी.पी.एच.कम्पाउंड,इंदौर
बैठक की आवृत्ति	तीन माह (वर्ष में चार)
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	नहीं
क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है	जी हां।

क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ?अगर हां तो प्रक्रिया का विवरण दें ।

वर्तमान में प्रावधान नहीं है।

### विद्युत निरीक्षकालय-

संबद्ध संस्था का नाम एवं पता	मुख्य अभियंता (वि.सु) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, सतपुडा भवन
संबद्ध संस्था का प्रकार(बोर्ड, परिषद समिति, निकाय या अन्य)	मध्य प्रदेश विद्युत निरीक्षकालय
संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय(स्थापना वर्ष, उद्देश्य/ मुख्य कृत्य)	विद्युत दुर्घटनाओं की जाँच तथा रोकथाम हेतु उपाय, फैक्टरी, विद्युत मंडल, लायसेंस और उच्चदाब एवं निम्नदाब उपभोक्ताओं की विद्युत स्थापनाओं की सामयिक जाँच, नये उच्चदाब कनेक्शनो का निरीक्षण, उन्हें चालू करने की स्वीकृति एवं निरीक्षण शुल्क की वसूली , सिनेमाओं के विद्युत अधिष्ठानों के रेखाचित्रों की जाँच, स्थापनाओं की जाँच , स्थापनाओं का निरीक्षण , पर्यवेक्षक /तार मिस्त्री अनुज्ञाओं एवं विद्युत ठेकेदारों को लायसेंस जारी करना, ठेकेदारी लायसेंसों का नवीनीकरण, विद्युत शुल्क खाते की जाँच करना, विद्युत शुल्क एवं उपकर वसूली।
संबद्ध संस्था की भूमिका	ऊर्जा विभाग के अधीन लागू विद्युत नियम, अधिनियम के तहत कार्य।
स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	ऊर्जा विभाग के अंतर्गत निरीक्षकालय
मुख्य अधिकारी का नाम	श्री एस.एस.मुजाल्दे, मुख्य अभियंता (वि.सु) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक (चालू प्रभार)
मुख्य कार्यालय का पता	तृतीय मंजिल क्र-खंड, सतपुडा भवन, भोपाल।
बैठक की आवृत्ति	प्रावधान नहीं है।
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	प्रावधान नहीं है।
क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है	प्रावधान नहीं है।
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ?अगर हां तो प्रक्रिया का	प्रावधान नहीं है।

विवरण दें ।

### म.प्र.विद्युत नियामक आयोग -

संबद्ध संस्था का नाम एवं पता	म.प्र.विद्युत नियामक आयोग,ऊर्जा भवन,शिवाजी नगर,भोपाल।
संबद्ध संस्था का प्रकार(बोर्ड, परिषद समिति, निकाय या अन्य)	राज्य आयोग
संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय(स्थापना वर्ष, उद्देश्य/ मुख्य कृत्य)	दिनांक २०.८.१९९८ को स्थापित । विद्युत दरों का निर्धारण, विद्युत पारेषण,वितरण,विद्युत व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति जारी करना,प्रदेश में विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, उपभोक्ताओं एवं विद्युत क्षेत्र के हितों का संरक्षण,विद्युत क्षेत्र हेतु मानक निर्धारण, आदि प्रमुख
संस्था की भूमिका	विद्युत नियामक आयोग
स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	आयोग - श्री राकेश साहनी,अध्यक्ष प्रमुख सचिव, खाद्य एवम नागरीक आपूर्ती विभाग, सदस्य श्री -----, सदस्य (अभियांत्रिकी) श्री सी एस शर्मा सदस्य(अर्थशास्त्र)
मुख्य अधिकारी का नाम	श्री .राकेश साहनी
मुख्य कार्यालय का पता	चतुर्थ एव पंचम तल , मैट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल-४६२०१६
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	सुनवाई में भाग ले सकती है।
क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है	जी हां।
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त	याचिका के निर्णय की प्रति प्राप्त कर सकती है।

प्राप्त कर सकती है ?अगर हां तो प्रक्रिया का विवरण दें ।	
---------------------------------------------------------	--

**म.प्र. पावर मेनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड**

संबन्ध संस्था का नाम एवं पता	म.प्र.पावर मेनेजमेन्ट कंपनी लिमि.,जबलपुर
संबन्ध संस्था का प्रकार(बोर्ड, परिषद समिति, निकाय या अन्य)	लिमिटेड कंपनी
संबन्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय(स्थापना वर्ष, उद्देश्य/ मुख्य कृत्य)	मई, २००६ से कियाशील, थोक विद्युत क्रय/विक्रय
संबन्ध संस्था की भूमिका	प्रदेश में थोक विद्युत व्यापार का कार्य एवं विकास ।
स्वरूप एवं वर्तमान संचालक	श्री मोहम्मद सुलेमान (भा.प्र.से.) - अध्यक्ष श्री मनु श्रीवास्तव (भा.प्र.से.) - प्रबंध संचालक श्री अजय नाथ (भा.प्र.से.) - संचालक श्री नितेश व्यास, (भा.प्र.से.) - संचालक श्री डी.पी.आहुजा, (भा.प्र.से.) - संचालक श्री सुखवीर सिंह, (भा.प्र.से.) - संचालक श्री नीरज अग्रवाल - संचालक
मुख्य अधिकारी का नाम	१. श्री मोहम्मद सुलेमान (भा.प्र.से.) - अध्यक्ष २. श्री मनु श्रीवास्तव (भा.प्र.से.), - प्रबंध संचालक
मुख्य कार्यालय का पता	शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर
बैठक की आवृत्ति	त्रैमासिक बैठक (प्रत्येक तीमाह के अंतराल में एक बैठक) अथवा वर्ष में चार बैठके।
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	नहीं
क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार	जी हां।

किया जाता है	
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ?अगर हां तो प्रक्रिया का विवरण दें ।	वर्तमान में प्रावधान नहीं है।